

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2016 — वैशाख 15, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 4446/डी. 149/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 19 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सदसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | | |
|----------------------------|----|-----|---|-----------------|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा. | |
| | | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. | |
| धारा 3 का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :- | |
| | | “3. | राज्य सरकार, नियमों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों के लिए सुझाये गये राजकोषीय नियम विनिर्दिष्ट करेगी.” | राजकोषीय नियम.” |

रायपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 4446/डी. 149/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 19 of 2016)

**THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2016****An Act further to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget
Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).**Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the
Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2016. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | For Section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005), the following shall be substituted, namely :- | Amendment of Section 3. |
| | “3. | The State Government shall, by rules, specify the fiscal rules suggested for the Fiscal Responsibility and Budget Management Acts of States by the Finance Commission constituted by the President of India.” | Fiscal Rules.” |